उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद
के
समवाय ज्ञाप एवं सामान्य अन्तर्नियम

Memorandum of Association
and
Rules
of
U.P. Council of Agricultural Research

Scanned with OKEN Scanner

विषय सूची

१. परिषद के गठन सम्बन्धी राजाज्ञा 1

२. परिषद का समवाय ज्ञाप 5

३. परिषद के समवाय अन्तर्नियम 15

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-८

संख्या : १६९५/१२-८-८९-४०० (६०)/८९

लखनऊ : दिनांक : १४ जून, १९८९

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विभाग एवं कृषि संबंधी अन्य शोध एवं शिक्षण में समन्वय स्थापित करने, शोध कार्य और उपलब्ध सीमित संसाधनों में समरसता स्थापित करने, शोध और उसकी उपलब्धियों को क्षेत्रीय संतुलन की समाप्ति का समीकरण बनाने और शोध प्रसार और शिक्षण का समुचित अधिकाधिक लाभ देश/प्रदेश के कृषकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिये राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के तात्कालिक प्रभाव से गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२—उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वशाश्री संस्था होगी जिसे दी सोसायटीज ऐक्ट, १८६० में पंजीकृत कराया जायेगा और जो प्रदेश सरकार तथा कृषि और कृषकों के हित में संलग्न संस्थाओं के वित्त पोषण से चलाया जायेगा।

३—उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नवत् गठन किये जाने का राज्यपाल महोदय स्वीकृति देते हैं :—

१.	कृषि उत्पादन आयुक्त	अध्यक्ष
२.	कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति	सदस्य
३.	सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, नियोजन पर्वतीय विकास, कृषि तथा पशुधन विभाग	सदस्य
४.	निदेशक, कृषि/पशुपालन	सदस्य
५.	भारतीय कृषि अनुसंधान का उपमहानिदेशक से अनिम्न स्तर का एक प्रतिनिधि	सदस्य
६.	चावल/गेहूं का एक-एक ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

७. उद्यान एवं सागभाजी का एक एक ख्याति प्राप्त
विशेषज्ञ — सदस्य

८ ५ ऐसे प्रगतिशील कृषक जिन्होंने अपने क्षेत्र में
ख्याति अर्जित की है — सदस्य

९. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद — सदस्य सचिव

४—परिषद का मुख्यालय लखनऊ मे होगा और उसे अपने विनियम एवं कार्य संचालन की पद्धति एवं समिति/उप समिति के गठन का अधिकार होगा ।

रवि मोहन सेठी,
कृषि सचिव ।

संख्या : १६९५ (१)/१२-८-८९-४००(६०)/८९ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

१- महालेखाकार (अडिट/लेखा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
२- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, इलाहाबाद ।
३- कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर/कानपुर/कुमारगंज, फैजाबाद।
४- सचिव, कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ ।
५- निदेशक, कृषि पशुपालन/उद्यान/मत्स्य उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
६- महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसधान और शिक्षा परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
७- सचिव, वित्त/नियोजन/कृषि/पशुधान पर्वतीय विकास उत्तर प्रदेश शासन ।
८- कृषि उत्पादन आयुक्त के सूचनार्थ
९- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

आज्ञा से
(बी० पी० मिश्र)
संयुक्त सचिव ।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का समवाय ज्ञाप
(*MEMORANDUM OF ASSOCIATION*)

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् का समवाय ज्ञाप

१. समिति का नाम-उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् होगा ।

२. समिति का पता :– ए-११, निराला नगर लखनऊ-२२६००७

३. समिति का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण त्तर प्रदेश

४. उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना का उद्देशय

(१) परिषद् की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि, पशुपालन उद्यान, फलों उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी एवं तत्संबंधित विषयों परप्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, कृषि महा विद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा किये जा रहे शोध, अनुसंधान एवं प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समव्वय, संतुलन एवं समरसता स्थापित करना जिससे अनुसंधान, तकनीक तथा दूसरे अन्य पहलुओं की व्यावहारिक उपयोग में क्रियात्मक उपयोगिता हो सके ।

(२) कृषि उत्पादन एवं तत्संबंधित विषयों में प्राविधिक ज्ञान की अभिबृद्धि हेतु योजनाओं का निरुपण, परीक्षण एवं विस्तार तथा प्रसार ।

(३) कृषि, पशुपालन तथा तत्संबंधित विषयों में अनुसंधान, प्रसार शिक्षा/प्रशिक्षाण से सम्बन्धित योजनाओं एवं सूचनाओं का संकलन, सम्पादन तथा निष्पादन का कार्य ।

(४) कृषि विकास एवं तत्संबधित प्राविधिक ज्ञान के विकास हेतु सस्थाओं को यथावश्यक व्यावहारिक परामर्श उपलब्ध कराना ।

(५) कृषि, पशुपालन, मत्स्य-पालन, फलोत्पादन, शाक-भाजी उत्पादन, कृषि-वानिकी सामाजिक वानिकी, कृषि विपणन कृषि सांख्यिकी एवं तत्संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के बहुयामी अवयवों में सुदृढ़ समन्वय स्थापित करना एवं व्यावहारिक, आर्थिक एवं उपयुक्त तकनीक का प्रसार करने के लिये इन सभी कार्यक्रमों को सम्पादित करने वाले विभागों को यथोचित तकनीकी दिशा एवं निर्देश प्रदान करना।

(६) अनुसंधान एवं संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना तथा कृषि एवं तत्संबंधित विषयों से सम्बन्धित मामलों में उच्च स्तरीय, लोकोपयोगी, प्रसार एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के लिये उपयुक्त पुस्तकों की रचना कराना, विश्लेषण समीक्षा, प्रसार कार्यक्रमों एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन तथा अन्य साहित्य का प्रकाशन कराना।

(७) कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षण तथा अनुसंधान एवं अन्य संस्थाओं में कृषि अनुसंधान एवं प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समाविष्ट करते हुए उसे सुदृढ़ करना तथा उसके कार्यक्रमों को बहुयामी दृष्टिकोण प्रदान करना।

(८) विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के द्वारा सचालित कार्यक्रमों की समन्वित रूप से प्राथमिकताएँ

Scanned with OKEN Scanner

निधर्मरण करना ।

(९) प्रदेश की विभिन्न कृषि वायवीय परिस्थितियों हेतु कृषि विकास के निमित्त प्राथमिकतायें निर्धारित करना एवं नवीनतम परिस्थितियों के लिये तर्क-सगत एवं सुदृढ़ प्रक्रिया का परामर्श-देना ।

(१०) कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा एवं प्रसार/प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा आवंटित समस्त धनराशि को कृषि संस्थानों विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के मध्य संतुलित रुप से वितरित करना एवं उनके उपयोग की प्रगति का विश्लेषण एवं आकंलन करना तथा इन विषयों पर बजट प्रस्तावों का परीक्षण एवं समन्वय का कार्य सम्पन्न करना तथा अन्य संस्थानों को प्रस्तुत प्रस्तावों को समन्वित करना तथा कार्य सम्पादन को गति देना ।

(११) कृषि एवं तत्सबधित अनुसधान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति एव विकास का आकलन करना तथा उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना एव इस हेतु प्राविधिकी का विकास करना ।

(१२) कृषि अनुसंधान तथा प्रशिक्षण में संलग्न कर्मचारियों, उत्पादकों पशु-पालकों तथा कृषकों के बीच एक सुदृढ़ समन्वय स्थापित करना एवं उनमें सुदृढ़ संवाद सम्बन्ध स्थापित करना ।

Scanned with OKEN Scanner

(१३) कृषि कर्मियों को उनके कर्तव्यों के सम्पादन अभिवृद्धि करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण, कार्यक्रम-नियोजन तथा निर्देश प्रदान करना ।

(१४) प्रदेश के कृषि, पशुपालन वैज्ञानिकों के लिये उपयुक्त उत्पादक, उत्प्रेरक एवं उच्च स्तरीय मूल भूत सुविधायें प्रदान करना जिससे कि अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त कर्मी एकाग्र होकर अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें ।

(१५) विभिन्न कृषि अनुसंधान, प्रशिक्षण प्रसार, प्राविधिक कार्यों के लिये मानक विकासित करना तथा अनुसंधान कार्यक्रमों एव प्रशिक्षणों का यथोचित मूल्यांकन करना ।

(१६) विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों एव कृषि महाविद्यालयों में चल रही अनुसधान योजनाओं को समन्वित करना एव इनके परिणामों के परिप्रेक्ष्य में वार्षिक/अर्द्ध-वार्षिक/त्रैमासिक या सावधिकार्यशा-लाओं, गोष्ठियों का आयोजन करना एवं तत्सबंधित भावी योजनाओं का निरूपण ।

(१७) यथा वांछित अन्य इकाई, उप इकाई संस्थाओं अथवा संस्थानों का संचालन सम्पादन एवं नियोजन करना जो उप-र्युक्त कर्तव्यों के लिये अपेक्षित हो तथा उनकी स्थापना करना ।

Scanned with OKEN Scanner

(१८) उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के धन को दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन प्रतिभूतियों में लगाना और सामान्य निकाय के निर्णय से उसका विक्रय, निक्षेप अथवा निस्तारण करना।

(१९) किसी भूमि या भवन को उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के लिए क्रय करना, पट्टे पर लेना, दान में लेना अथवा अन्यथा उसको इस परिषद के उपयोगार्थ।

(२०) इस परिषद् के उपयोगार्थ किसी भवन को क्रय करना अथवा उसमें परिवर्तन, परिमार्जन अथवा संशोधन करना।

(२१) वह सभी कृत्य निष्पादित किया जाना जो इस परिषद के प्रयोजनार्थ उसको सौंपे गये हैं अथवा उसके उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति की दिशा में आवश्यक समझा जाय।

Scanned with OKEN Scanner

परिषद की प्रथम प्रबन्ध समिति

परिषद की प्रथम प्रबन्ध समिति निम्नवत् होगी :-

१. श्री राज कुमार भार्गव	उ० प्र० सचिवालय	कृषि उत्पादन आयुक्त	राजकीय सेवा	अध्यक्ष
२. श्री राज कुमार दर	,,	प्रमुख सचिव पर्वतीय विकास	,,	सदस्य
३ श्री मनोदत्त पाठक	उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ	महानिदेशक	,,	,,
४. श्री मुकुल सनवाल	उ.प्र. सचिवालय लखनऊ	कृषि सचिव	,,	,,
५. श्री वी० के० सक्सेना	,,	प्रमुख सचिव वित्त विभाग	,,	,,
६. श्री भोला नाथ तिवारी	,,	सचिव नियोजन	,,	,,
७. श्री ऋषि राम शर्मा	कृषि भवन उ.प्र. लखनऊ	निदेशक	,,	
८. श्री राम जनम सिंह	पशुपालन विभाग उ०प्र० लखनऊ	निदेशक	,,	

परिषद के सचिव प्रबन्ध समिति के पदेन सचिव होगे

Scanned with OKEN Scanner

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते है कि हमने इस स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट् १८६० के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है ।

कम से कम ७ सदस्यो के हस्ताक्षर नाम व पते

१-	हस्ताक्षर	कृषि उत्पादन आयुक्त
२-	,,	प्रमुख सचिव पर्वतीय विकास
३-	,,	निदेशक उद्यान एवं फल उपयोग
४-	,,	कृषि सचिव उ० प्र०
५-	,,	निदेशक पशुपालन उ० प्र०
६-	,,	निदेशक कृषि विभाग उ० प्र०
७-	,,	महानिदेशक उ० प्र० कृषि अनुसंधान परिषद ए-११, निरालानगर, लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् के सामान्य समवाय अन्तर्नियम

१. संक्षिप्त शीर्षक व्यापकता एवं प्रभाव

यह समवाय अन्तर्नियम उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के समवाय अन्तर्नियम कहलायेगे ।

२. परिभाषायें

१. 'परिषद' का आशय उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से है जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट १८६० के अधीन पंजीकृत है ।

२. 'संस्था' का आशय उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से है ।

३. 'प्रबन्ध समिति' का आशय इस नियमावली के नियम ३१ के अधीन गठित उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद कीप्रबन्ध समिति से है ।

४. 'अध्यक्ष' का आशय इस नियमावली के नियम सं० १९ के अधीन उस व्यक्ति से है जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त हो ।

५. 'महानिदेशक' का आशय इस नियमावली के नियम सं० २१ के अधीन उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक से हे ।

६. 'सदस्य सचिव' का आशय परिषद के समान्य निकाय के सदस्य सचिव के रुप में नियत व्यक्ति से है ।

७. 'सदस्य' का आशय, जब तक अन्यथा आशय न हो इस नियमावली के अधीन उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्य के रूप में पदेन अथवा नामित व्यक्ति से है ।

८. 'सचिव' का आशय इस नियमावली के नियम सं० २२ के अनुरूप नियत उस व्यक्ति से है जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के

Scanned with OKEN Scanner

सचिव का पद पर तैनात किया गया है अथवा उस व्यक्ति से है जो परिषद के सचिव के दायित्व-निर्वाह के लिए उत्तरदाई हो, भले ही उसे किसी भी नाम/पदनाम से सम्बोधित किया जाय।

९. 'वर्ष' जब तक अन्यथा आशय न हो, का आशय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष मे है।

१०. 'शासन' का आशय उत्तर प्रदेश शासन से है

११. कृषि का आशय फसल उत्पादन, कृषि पशु-पालन, मत्स्य पालन, बागवानी, कृषिवानिकी हर प्रकार की फसल उत्पादन, भूमि सुधार, भूमि एवं जल संरक्षण से है।

१२. 'राज्यपाल' का आशय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

३. क परिषद का मुख्यालय

परिषद का मुख्यालय लखनऊ में होगा जिसका वर्तमान पता ए-११, निराला नगर लखनऊ २२६००७ है।

ख कार्यक्षेत्र

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

४. परिषद का सामान्य निकाय

परिषद का सामान्य निकाय निम्नवत होगा :

१.	कृषि उत्पादन आयुक्त	अध्यक्ष
२.	उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति	सदस्य
३.	प्रमुख सचिव (वित्त) उ०प्र० शासन	सदस्य
४.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग उ०प्र० शासन	सदस्य
५.	प्रमुख सचिव, पर्वतीय विकास विभाग, उ०प्र० शासन	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

६. सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन सदस्य
७. सचिव, पशुधन विभाग उ.प्र. शासन सदस्य
८. सचिव गन्ना विभाग, उ.प्र. शासन सदस्य
९. निदेशक, कृषि विभाग उ.प्र. सदस्य
१०. निदेशक, पशुपालन विभाग उ.प्र. सदस्य
११. निदेशक उद्यान विभाग उ.प्र. सदस्य
१२. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के उप महा निदेशक के अनिम्न स्तर का एक प्रतिनिधि सदस्य
१३. चावल का एक ख्याति प्राप्ति विशेषज्ञ सदस्य
१४. गेहूं का एक ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ नदस्य
१५. उद्यान का एक ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ सदस्य
१६. पशु विज्ञान का एक ख्यति प्राप्त विशेषज्ञ सदस्य
१७. शाक-भाजी का एक ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ सदस्य
१८. तिलहन का एक ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ सदस्य
१९. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. तराई बींज विकास निगम सदस्य
२०. ५ ऐसे प्रगतिशील कृषम, जिन्होंने अपने क्षेत्र में ख्याति अर्जित की हो सदस्य
२१. महा निदेशक, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद सदस्य सचिव

परिषद पांच से अनरधिक अथवा उसके अनु-षांगिक विषय से संबंधित उत्तर प्रदेश शासन

Scanned with OKEN Scanner

के किसी भी विभाग के सचिव अथवा निदेशक अथवा सार्वजनिक उपक्रम के मुख्य अधिशासी को शासन के पूर्वानुमोदन से नामित कर सकती है।

५. सदस्यों का मनोनयन

पदेन सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्यों का मनोनयन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परिषद की संस्तुति पर किया जायेगा। इन सदस्यों का कार्य-काल यथास्थिति तीन वर्ष अथवा वह अवधि होगी जो किसी मनोनीत सदस्य के पद रिक्त करने के कारण अवशेष है।

६. सदस्यो की पंजिका

परिषद अपने पास सदस्यों की एक पंजिका रखेगी जिसमें परिषद के सदस्यों के पूर्ण विवरण, उनके नाम, पते, उनका व्यवसाय तथा मनोनयन की तिथि एवं अवधि का अंकन किया जायेगा यदि कोई सदस्य अपने स्थान अथवा पते में परिवर्तन करता है तो वह अपने नये पते के बारे में परिषद को सूचित करेगा जो सदस्यों की पजिका में तद्नुसार सशोधन अकित करेगे/परन्तु यदि कोई सदस्य अपने पते में परिर्वतन की सूचना परिषद के सचिव को नहीं देता है तो सदस्य पजिका में उल्लिखित पता ही अंकित व सही माना जायेगा।

७. पदेन सदस्यों का निर्धारण

कोई व्यक्ति किसी पद विशेष पर नियुक्ति के परिणामस्वरुप जब स्वतः ही परिषद की सदस्यता धारित करेगा, उन परिस्थितियों में वह व्यक्ति तब तक परिषद का सदस्य रहेगा, जबतक वह अपने पद पर नियुक्त हो एवम् पद विशेष से अवमुक्त होते ही वह परिषद की सदस्यता एवं तत्सम्बंधित विशेषाधिकारों से वंचित हो जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

८. सदस्यता की अवधि

नियमावली के नियम संख्या ५ के संदर्भ में परिषद के लिए मनोनीत कोई सदस्य उस अवधि के लिए अपनी सदस्यता धारित करेगा जिसके लिए उसे नियम ५ में मनोनीत किया गया है, बशर्ते कि वह उससे पूर्व अभीष्ट कारणों से सदस्यता से वंचित न हुआ हो अथवा उसकी सदस्यता समाप्त न हुई हो।

९. सदस्यता का समापन

मनोनीत सदस्यों की सदस्यता का समापन निम्नलिखित में किसी भी परिस्थिति में हो जायेगा :

१. सदस्यता की उस अवधि की समाप्ति के उपरान्त जब तक के लिए वह मनोनीत किया गया।

२. मृत्यु, त्याग पत्र देने, विक्षिप्तता, अनैतिक आचारण के अपराध में सक्षम न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से दंडित होने पर।

३. कोई भी सदस्य निरन्तर परिषद की ३ बैठकों में अध्यक्ष को बिना सूचित किये हुए अनुपस्थित रहे।

४. अध्यक्ष किसी भी समय किसी एक अथवा अधिक सदस्यो की एक अथवा अधिक बार में सेवायें (पदेन सदस्यों को छोड़कर) समाप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस नियमावली के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अनुसार रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

Scanned with OKEN Scanner

१०. आकस्मिक रिक्तयों का भरा जाना

यदि इस नियमावली के नियम सं० ५ के अनुरूप किसी मनोनीत सदस्य के तीन वर्ष की सदस्वता से पूर्व कोई रिक्ति उत्पन्न होती है और उसे किसी अन्य सदस्य के मनोनयन से भरा जाता है तो ऐसा मनोनयन उक्त सदस्य की कुल सदस्यता अवधि के शेष भाग के लिए ही वैध होगा।

११. सदस्यता से त्याग पत्र

जब कोई सदस्य परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र देना चाहेगा तो वह अपना त्याग पत्र परिषद के सदस्य सचिव को प्रस्तुत करेगा जो परिषद के अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। यह त्याग पत्र अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

१२. सदस्यों के कृत्यों की वैधता आदि

किसी सदस्य विशेष की नियुक्त में कभी अथवा रिक्तियों के परिणामस्वरूप परिषद का कार्य अवैध नहीं होगा एवं परिषद निर्बाध रूप से रिक्तियों एवं मनोनीत सदस्यों तथा पदेन सदस्यों की सदस्यता सहित संचालित होती रहेगी।

१३. परिषद के पदाधिकारी

परिषद के निम्नलिखित अधिकारी होगे :

१. परिषद का अध्यक्ष।
२. परिषद की प्रबन्ध समिति।
३. परिषद का महानिदेशक।
४. परिषद का सचिव।
५. अन्य व्यक्ति/समिति/उप समिति जो परिषद द्वारा किसी निर्दिष्ट कार्य हेतु गठित की गई हो।

Scanned with OKEN Scanner

१४. परिषद के प्रमुख अधिशासी अधिकारी	महा निदेशक परिषद का प्रमुख अधिशासी अधिकारी होगा ।
१५. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्तियाँ	परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों, वैज्ञानिकों और अन्य संवर्गों में नियुक्तियाँ परिषद के समवाय अन्तनिर्यम के अन्तर्गत की जायेंगी जब तक कि भर्ती के निमित्त इन अन्तनिर्यमों के अतर्गत भर्ती विषयक विनियमावली विरचित न हो जाय ।
१६, परिषद के अधिकार	परिषद अपने कर्तव्यों और प्रयोजनार्थ उल्लिखित समस्त कृत्यों के लिए ऐसे नीति निर्देशक सिध्दान्त बना सकेगी और अधिकारों का प्रयोग करेगी जो वह उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अवश्यक समझे ।
१७. विश्वविद्यालयों एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं की प्रगति की विवेचना	परिषद अपनी बैठकों में वर्ष में कम से कम एक बार प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों, सम्बन्धित निदेशालयों एवं अन्य संस्थाओं में चल रहे शोध प्रसार एवं प्रशिक्षण कार्यों की प्रगति का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करेगी तथा शासन को उनके बारे में समय समय पर सलाह प्रदान करेगी ।
१८. सामान्य निकाय की बैठकों की सूचना	सामान्य निकाय की बैठकों की सूचना सदस्य पंजिका में उल्लिखित सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा उस पते पर दी जायेगी जो सदस्यता पंजी में उल्लिखित हो । डाक द्वारा कोई भी सूचना सदस्यों को डाक में लिफाफा प्रेषित किये

Scanned with OKEN Scanner

जाने की तिथि के ५ दिनों बाद प्राप्त हुई मानी जायेगी तथा इस प्रकार के संवाद प्रेषण को उक्त परिस्थिति में काफी मान लिया जायेगा, यदि यह सिद्ध हो जाय कि सम्बन्धित लिफाफे में निर्दिष्ट सूचना ही रखी गई थी।

१९. परिषद का अध्यक्ष

परिषद का अध्यक्ष इन नियमों के अधीन प्रदत्त अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में ऐसी समस्त शक्तियों तथा अधिकारों का प्रयोग करेगा जो समवाय ज्ञाप में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य सम्पादन के लिए उपयुक्त हो। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष में निम्नलिखित दायित्व भी निहित होंगे।

१ समय समय पर परिषद के कार्य एवं प्रगति का मूल्यांकन तथा विवेचना।

२. परिषद के कार्य कलायों के बारे में प्राप्त विभिन्न मामलों के सन्दर्भ में समितियों उप समितियाँ अथवा दलों आदि का गठन करना जो परिषद द्वारा सम्बधित प्रकरणों पर जाँच के लिए आवश्यक हो तथा यथावश्यक आदेश पारित करना।

२०. अधिकारों का प्रतिनिधायन

स्वविवेक से अध्यक्ष अपने अधिकारों का प्रति-निधायन महा निदेशक को कर सकते हैं।

२१. महा निदेशक

शासन के पूर्वानुमोदन से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अधिकारी होगा।

Scanned with OKEN Scanner

२१. १-अधिकार एवं दायित्व

महा निदेशक परिषद का प्रमुख अधिशासी अधिकारी होगा और उसके अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित दायित्व एवं अधिकार होंगे :

१. परिषद के कोष एवं अन्य मामलों का यथोचित प्रशासन।

२. परिषद के कर्मचारियों के दायित्वों एवं कृत्यों का निर्धारण।

३. परिषद के समस्त कर्मचारियों के कृत्यों एवं आचरण पर प्रशासनिक नियंत्रण, कार्यवाही तथा पर्यवेक्षण।

४. कृषि पशुपालन, फलो त्पादन मत्स्य पालन एवं प्रदेश में चल रही तत्सम्बन्धित समस्त अनुसधान योजनाओं एवं अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा प्रसार प्रशिक्षण कार्यों का समन्वय एवं संतुलन जैसा परिषद के उद्देश्यों में इंगित है।

५. उत्तर प्रदेश शासन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कृषि एवं पशुपालन सम्बन्धी समस्त प्रकरणों को समन्वित करना।

६. कृषि विश्वविद्योलयों, महाविद्यालयों अनुसंधान एव अन्य संस्थाओं के अनुसंधान प्रसार प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यों के लिए निर्मित उन प्रस्तावों का परीक्षण जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

Scanned with OKEN Scanner

अथवा अन्य शीर्ष संस्थाओं को प्रस्तुत किये जावें एवं उन प्रस्तावों पर संस्तुति प्रदान करना ।

७. महा निदेशक अपने अधिकारों को लिखित रूप से आंशिक या विशिष्ट रूप से किसी अधिकारी को जिसे वह उचित समझे, प्रतिनिधानित कर सकता है ।

८. अपने दायित्वों के निर्वाह एवं परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महा निदेशक विशेषज्ञ अथवा विशिष्ट दलों/कमेटी का गठन करेगा ।

९. अन्य सभी अधिकार जो परिषद के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक हो अथवा अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधानित किये गये हों ।

२२. सचिव

१. परिषद के सचिव को इस नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप वे सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार होंगे जो उन्हें समय समय पर उसके अध्यक्ष अथवा महा निदेशक द्वारा प्रतिनिधानित किया जाय ।

२. प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुरूप परिषद की ओर से समस्त निबंन्धो, समझौतों, निविदाओं को हस्ताक्षरित करने के लिए सचिव अधिकृत होंगे ।

Scanned with OKEN Scanner

३. सोसाइटीज रजिट्रेशन एकट (१८६०) के अनुच्छेद-२१ के अनुखण्ड-६ के प्राविधानों के अनुसार सचिव परिषद का मुख्य अधिकारी होगा । परिषद पर दायर होने वाले अथवा परिषद द्वारा दायर किये जाने वाले वादों में सचिव के पदनाम से वाद/प्रतिवाद किया जा सकेगा । ऐसे वादों में सचिव किसी एक अथवा एक से अधिक अधिकारियों को पैरवी करने के लिए लिखित रूप से प्राधिकृत कर सकेगा । सचिव, महा-निदेशक के अनुमोदनोपरान्त अपने अधिकारो को लिखित रूप से अपने किसी अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारी को प्रतिनिधानित कर सकेगा ।

२३. कृत्य

१. परिषद के महानिदेशक के निर्देशाअनुसार सचिव कार्य करेगा ।
२. परिषद के कार्यालय के सभी प्रपत्रों को सचिव महा निदेशक के निर्देशों के अनुरूप परिषद के कार्यालय एवं/अथवा निर्दिष्ट स्थान पर रखेगा ।

२४. निकाय की सामान्य वार्षिक बैठक

सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक महा-निदेशक द्वारा निधारित/नियत तिथि, स्थान एवं समय पर सम्पन्न की जायेगी ।

२५. विशेष सामान्य बैठक

यथावश्यक जब भी उचित समझा जायेगा, अध्यक्ष, परिषद की विशेष सामान्य बैठक आहूत करेंगे । विशेष बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर ही चर्चा की जायेगी जिस विषय

Scanned with OKEN Scanner

विशेष के लिए यह बैठक आहूत की जायगी। परिषद का सदस्य सचिव बैठक को आहूत करने के ज्ञाप में विचार विमर्श के लिए निश्चित विषय का उल्लेख करेगें तथा अन्य विषय/विषयों पर चर्चा तभी होगी जब अध्यक्ष द्वारा इस हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो।

सदस्यों के द्वारा इस प्रकार की विशेष बैठक आहूत करने के लिए अधियाचन परिषद के सदस्य सचिव के पास उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए किया जायेगा।

परिषद के कम से कम दो तिहाई सदस्यो के अधियाचन पर परिषद की यह बैठक आहूत करना आवश्यक होगा।

२६. **बैठक आहूत करना**

परिषद की बैठक के लिए सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से ही अधिसूचना जारी की जायेगी।

२७ **सूचना की अवधि**

परिषद की बैठक आहूत करने के लिए जारी विज्ञाप्ति में प्रत्येक सदस्य को बैठक की तिथि, समय एवं स्थान का उल्लेख करते हुए बैठक की कार्यवाही तिथि से स्पष्ठतया कम से कम १५ दिन पूर्व लिखित रूप से सूचना दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को किसी अपरिहार्य कारणोंवश बैठक की कार्य-सूची यथासमय नही मिलती है तो भी बैठकों का कार्यवृत्त विधि सम्मत माना जायेगा।

२८. **बैठकों की अध्यक्षता**

सामान्य निकाय/प्रबन्ध समिति की बैठकों की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

२९. कोरम

सामान्य निकाय के लिए कम से कम ५ और प्रबन्ध समिति के लिए कम से कम ३ सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

३०. विवादित प्रकरणों पर निर्णय एवं मताधिकार

किसी भी बैठक में उठे हुए विवादित प्रकरणों पर यथोचित निर्णय उपस्थित सदस्यों के मतदान के आधार पर होगा। प्रत्येक सदस्य केवल एक ही मत देने के लिए अधिकृत होगा।

किसी एक विषय के पक्ष में या विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा।

३१. प्रबन्ध समिति

परिषद में उसके कार्यकलापों के नियंत्रण के समस्त अधिकार प्रबन्ध समिति में निहित होंगे तथा सामान्य निकाय के अधीक्षणाधीन रहते हुए उसके समस्त अधिकार उसमें निहित होंगे। समान्य निकाय के सदस्यों में से प्रबन्ध समिति का गठन निम्नवत होगा :

(१)	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०	अध्यक्ष
(२)	प्रमुख/सचिव, पर्वतीय विकास विभाग, उ० प्र० शासन	सदस्य
(३)	कृषि अनुसंधान परिषद के महा निदेशक	सदस्य
(४)	सचिव, कृषि विभाग, उ. प्र. शासन	सदस्य
(५)	सचिव, वित्त विभाग, उ प्र. शासन	सदस्य
(६)	सचिव, नियोजन विभाग, उ. प्र. शासन	सदस्य
(७)	निदेशक, कृषि विभाग, उ. प्र.	सदस्य
(८)	निदेशक, पशुपालन विभाग, उ.प्र.	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

अन्य कोई सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किया गया हो ।

कृषि अनुसंधान परिषद का सचिव इस समिति का भी पदेन सचिव होगा ।

अध्यक्ष की अनुस्थित में महा निदेशक बैठक की अध्यक्षता करेगे ।

३२. व्यापकता — प्रबन्ध समिति परिषद के सामान्य समवाय ज्ञाप में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित सिध्दान्तों, निर्देशों का पालन करेगी ।

३३. कृत्य — परिषद के समवाय अन्तर्नियमों, उप नियमों एवं विज्ञाप्तियों के अनुसार परिषद के समस्त प्रकरण एवं वित्तीय व्यवस्थायें प्रबन्ध समिति के द्वारा प्रबंधित, प्रशसित, निर्देशित एवं नियंत्रित होंगी ।

३४. अधिकार

१, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निश्चित सीमाओं एव कर्तव्य परिसीमाओं के अन्दर परिषद से सम्बधित विभिन्न मामालों में ऐंसी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विधि विहित नियमों/उप नियमों के द्वारा उसमें समाहित/समावेशित या प्राधिकृत या प्रतिनिधानित हो एवं शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित वित्तीय व्यय सीमा में अधिकारों का प्रयोग करेगा

२. सामान्य रूप से बिना किसी भेदभाव के प्रबन्ध समिति को परिषद के नियमों एवं उप नियमों के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत अधिकार होगे ।

(क) परिषद के सदस्य सचिव द्वारा प्रबन्ध समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये गये वार्षिक/अनुपूरक

Scanned with OKEN Scanner

बजट प्रस्तावों को स्वीकार करना एवं ऐसे संशोधन जो समय समय पर आवश्यक हों।

(ख) कृषि अनुसंधान, अनुसंधान प्रसार, प्रशिक्षण एवं प्रसार प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समस्त धनराशि को कृषि संस्थानों विश्वविद्यालायों एवं अन्य संस्थाओं के मध्य संतुलित रूप से वितरित करना एवं उनके उपयोग की प्रगति का विश्लेषण एव आकलन करना तथा इन विषयों पर बजट प्रस्तावों का परीक्षण एवं समन्वय कार्य सम्पन्न करना तथा अन्य संस्थाओं को प्रस्तुत प्रस्तावों को समन्वित करना।

(ग) कृषि, पशुपालन, एवं तत्सम्बन्धित विषयों पर ज्ञानार्जन एव शिक्षण प्रसार के सम्बन्ध में ऐसी छात्रवृत्तियों, पुरस्कारों, प्रशिस्ति पत्रों, प्रमाण पत्रों तथा मनद उपाधियों को प्रोत्साहित करना जिससे परिषद के उद्देश्यों में सहायता मिले।

(घ) परिषद के लिए पद सृजित करना, संवर्ग गठन करना एवं कार्मिकों के सम्बन्ध में स्वीकृतियाँ प्रदान करना।

(च) परिषद के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करना, उनके कृत्यों एवं दायित्वों को परिभाषित करना एवं उनको अनुतोष स्वीकृत करना।

(छ) वैज्ञानिक अथवा वैज्ञानिक मण्डल की नियुक्तियों के संदर्भ में विभिन्न विषयों के लिए संवर्ग निर्धारित करना तथा उनकी नियुक्ति हेतु मानक निर्धारित करना।

(ज) तकनीकी एवं गैर तकनीकी संवर्गों में पदों की संख्या अनुपात एवं संतुलन निर्धारित करना।

(झ) ऐसे सिध्दान्तों एवं प्रक्रिया का निर्धारण करण जिससे हर वैज्ञानिक को मूलभूत अनुसंधान सुविधायें प्राप्त हो सकें तथा जो अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, वे उसी क्षेत्र में लगे रह सकें।

Scanned with OKEN Scanner

(ट) अन्तराष्ट्रीय भारतीय सरकार की अनुमति से एवं अन्य प्रदेशों की संस्थाओं, संगठनों के व्यक्तिगत सार्वजनिक अथवा स्वेच्छिक संस्थाओं के साथ अनुबंध करना या ऐसे समझौते करना, अनुदान प्राप्त करना, उपहार प्राप्त करना जो परिषद के उद्देश्यों के विपरीत तथा शासन की नीतियों के विरुद्ध न हो एवं परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

(ठ) क्रय उपहार प्राप्त करना विनियम न करना तथा अन्य रूप में परिषद परिसम्पत्तियों को सृजित करना संग्रहालयों की स्थापना, चल/अचल सम्पत्तियों का सृजन तथा प्रतिवाद को समाप्त करना जो परिषद में निहित उद्देश्यों के विरुद्ध न हो।

(ड) प्रबन्ध समिति यथावांछित प्रशासकीय, वित्तीय एवं अन्य प्रकार के अधिकार परिषद के महा निदेशक को आवश्यकतानुसार प्रतिनिधानित कर सकेगा।

३५. नियम एवं उप नियमों का गठन संशोधन तथा परिवर्तन

इन नियमों के रहते हुए परिषद की अनुमति से प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में उपयुक्त उप विधियों की संरचना, संशोधन एवं निरस्तीकरण कर सकेगा जिससे परिषद की प्रबन्ध व्यवस्था तथा कोष प्रबन्ध सुचारू रूप से चलता रहे एवं विशेष रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर उप विधियाँ गठित करेगा :

१. बजट नियंत्रण, व्यय स्वीकृतियाँ, निबन्धनों का सम्पादन, पूजी निवेश, क्रय विक्रय तथा निवेश एवं लेखा का वह परिवर्तन एवं सम्परीक्षण जो यथाविधि उपयुक्ए समझा जाय।

२. परिषद के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण,

Scanned with OKEN Scanner

परीक्षण मूल्यांकन, परिवीक्षा पर रखना, स्थाईकरण एवं प्रोन्नतियों के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण।

३. परिषद के कर्मचारियों कीं नियुक्ति, चयन तैनाती, वेतन भत्तों की स्वीकृति सेवा शर्तों का निर्धारण।

४. छात्रवृत्तियों की स्वीकृति।

५. अनुसंधान योजनाओं एवं परियोजनाओं का अनुदान।

६. अनुसंधान कार्यों का संचालन

७. ऐसे अन्य प्रकरण जो परिषद के प्रशासनिक प्रकरणों की कार्यवाही एवं वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में आकस्मिक रूप से अपरिहार्य समझा जाय।

३६. बैठकों की आवृत्ति

इस प्रबन्ध समिति की बैठके जो भी आवश्यक होगी, आहूत की जायेंगी, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य सम्पन्न होगी। इस स्थान पर वर्ष का आशय शासन के द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष से है।

३७. बैठकों का समय तिथि एवं स्थान

प्रबन्ध समिति की बैठक उस तिथि, समय एवं स्थान पर होगी जो परिषद के महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया जाय।

३८. कार्यवृत्त का अनुमोदन

सामान्य निकाय तथा प्रबन्ध समिति का कार्यवृत्त यथास्थिति अध्यक्ष, जिसने भी बैठक की अध्यक्षता की हो के द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

३९. परिषद के वित्तीय संशाधन

परिषद का वित्तीय संशाधन निम्न श्रोतों से आयेगा।

१. उ०प्र० शासन के द्वारा प्रदत्त अनुदान।

२. भारयीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रदत्त अनुदान।

३. निवेशों से प्राप्त आय।

Scanned with OKEN Scanner

४. अन्य संस्थाओं के द्वारा प्रदत्त धनराशि ।

५. अन्य श्रोत ।

४०. वित्तीय व्यवस्था एवं लेखों का सम्प्रेक्षण

१. परिषद का बैंकिंग कार्य एक या एक से अधिक अनुसूचित बैंकों के माध्यम से सम्पादित होगा ।

२. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाय, महा निदेशक अथवा परिषद के सचिव की अनुमति के बिना कोई भी नया खाता किसी बैंक में नहीं खोला जायेगा ।

३. परिषद के खाते से धनराशि केवल विधि सम्मत चेकों के द्वारा आहरित की जायेगी तथा यह चेक परिषद के महा निदेशक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही हस्ताक्षरित तथा प्रति हस्ताक्षरित होगी :

४. परिषद के लेखों का सम्प्रेक्षण प्रबन्ध समिति के द्वारा नियुक्त सप्रेक्षण संस्था के द्वारा सम्पादित किया जायेगा ।

४१. वित्तीय मामलों में परामर्श

महा निदेशक के अधिकार क्षेत्र से बाहर आने वाले वित्तीय मामलों को प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष की अनुमति से शासन को परिषद के महा निदेशक द्वारा संदर्भित किया जायेगा ।

४२. वार्षिक रिपोर्ट

परिषद के द्वारा प्रत्येक वर्ष में सम्पादित कृत्यों/उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं के सम्बन्ध में महा-निदेशक की रिपोर्ट कम से कम एक बार परिषद की सामान्य सभा के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी जिसमें परिषद की वित्तीय स्थिति के विवरण एवं सम्प्रेक्षकों का ज्ञाप भी संलग्न होगा ।

४३. उद्देश्यों में परिवर्तन संशोधन तथा विस्तार

उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति से परिषद अपनी प्रबन्ध समिति के अनुमोदनोपरान्त स्थापित उद्देश्यों

Scanned with OKEN Scanner

में संशोधन करते हुए परिवर्तन कर सकती है तथा पूर्ण रूप अथवा आंशिक रुप से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन उनका समायोजन किया जा सकता है :

१. इस उद्देश्य के लिए प्रस्ताव पर अनुमोदन के लिए इन नियमों के अधीन प्रबन्ध समिति परिषद की आम सभा की बैंठक आहूत करे।

२. प्रबन्ध समिति इस प्रकार का वांछित परिवर्तन, विस्तार, परिमार्जन, जैसी भी स्थिति हो, के यथोचित प्रस्ताव के बारे में अपना निर्णय लिखित अथवा मुद्रित रुप में प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध करायेगी। उक्त रिपोर्ट प्रत्येक सदस्य को महां सभा की संबंधित बैठक से स्पष्ट रूप से १५ दिन पूर्व अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

३. इस प्रकार से प्रस्तावित प्रस्तावों को सामान्य निकाय की कुल सदस्यता की ३/५ सदस्य संख्या द्वारा स्वीकृत कर लेने से उसे पारित मान लिया जायेगा।

४. उपर्युक्त प्रकार से प्राप्त निर्णयों को पुष्ट करने के लिए आम सभा की एक अन्य बैठक एक माह के अन्तराल के बाद आहूत की जायेगी तथा उस बैंठक में कम से कम ३/५ सदस्यों के द्वारा प्रथम बैठक में पारित प्रस्तावों की पुष्टि की जायेगी।

४. नियमों में परिवर्तन तथा संशोधन — उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श एवं अनुमोदन से प्रवन्ध समिति के बहुमत से इन उद्देश्यों के लिए आहूत बैठकों के निर्णयो के आधार पर परिषद के नियमों में संशोधन किया जायगा।

५. वित्त अधिकारी — परिषद मुख्यालय पर एक पूर्णकालिक वित्त अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

होगा जो परिषद के बजट के लिए उत्तरदायी होगा। परिषद के वित्त का नियंत्रण लेखा के बनाये जाने और अन्तरिक सम्प्रेक्षण का दायित्व उसका होगा : सभी वित्तीय उपाशय के मामले में महा निदेशक को परामर्श देगा और महा निदेशक को अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से वित्त अधिकारी द्वारा दिये गये परामर्श को अस्वीकार कर दें। इस प्रकार की अस्वीकारोंक्ति के प्रत्येक मामलों में महा निदेशक अस्वीकृति के कारण अभिलिखित करेंगे।

४६, सामान्य

१. परिषद अपना कार्यालय स्थापित करेगी और उसके लिए कर्मिकों की व्यवस्था करेगी जिसमें सभीं वैज्ञानिक, प्रशासनिक, तकनीकी वित्तीय, विधि लिपिकीय विशेषज्ञ और अन्य संवर्ग सम्मिलित होंगे।

२. परिषद की सेवाओं में भर्ती परिषद द्वारा विरचित भर्ती नियमावली के अधीन होगी जो प्रबन्ध समितियों की संस्तुति पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रख्यापित की जाये। जब तक भर्ती विनियमावली प्रख्यापित नहीं हो जाती तब तक अध्यक्ष के द्वारा कार्यकारी आदेशों के अनुसारभर्ती की जायेगी। सभी वैज्ञानिक और उन पदों के लिए जिनका वेतन मान प्राध्यापक के वेतन मान से अधिक न है, चयन समिति के अध्यक्ष महानिदेशक हों और इस ऊपर के पदों के लिए प्रबन्ध समि के अध्यक्ष होंगे।

अध्यक्ष अपने विवेक से उन समितियों की अध्यक्षता का अधिकार महा निदेशक को दे सकते हैं। प्रत्येक चयन समिति में अध्यक्ष सहित न्यूनतम तीन सदस्य होंगे, जिनका नामांकन परिषद के अध्यक्ष को करने का अधिकार होगा।

Scanned with OKEN Scanner